न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (जालोर)

पीठासीन अधिकारी : हनुमानाराम आर.ए.एस.

मुकदमानम्बर : 02/2022

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1.पुखराज पुत्र तगाराम, कौम– खत्री, निवासी वेडिया तहसील चितलवाना		1 राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार चितलवाना जिला जालोर 2 बाबुखां पुत्र जानूखां कौम मुसलमान निवासी वेडिया, तहसील चितलवाना

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131,136 आर.एल.आर. एक्ट 1956

निर्णय दिनांक :– 17/05/2023

उपस्थित :

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री मुकेशकुमार पूरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 02 (राजपेरोकार) तहसीलदार चितलवाना।
3. अप्रार्थी संख्या 03 एकपक्षिय।

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि मौजा वेडिया तहसील चितलवाना के खेत खसरा संख्या 34/2 रकबा 0.45 हेक्टर प्रार्थी व अप्रार्थी बाबुखां की संयुक्त खातेदारी की आई हुई थी। जिसमें प्रार्थी का 0.0085 हेक्टर हिस्सा व अप्रार्थी बाबूखां की 0.4415 हेक्टर खातेदारी आई हुई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी आराजी का आपसी सहमति से मौके पर अलग–अलग कर माठे कायम कर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 मौके पर अलग–अलग कब्ता काश्त प्राप्त कर लिया तथा माफिक मौके पर बंटवाड़े के प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 के कब्जा काश्त [illegible] बंटवाड़ा पेश करने पर बंटवाड़ा स्वीकृत किया गया। बंटवाड़े के साथ [illegible] जिसमें की 0.0085 हेक्टर आराजी हरे रंग से दर्शित की [illegible] अनुसार बंटवाड़े की [illegible] से नामामन्तरकरण स्वीकृत किया जाकर ट्रेस नक्शे में आपसी सहमति से स्वीकृत मूल बंटवाड़ा के साथ पेश नजरी नक्शे को नजरअंदाज कर, मौके पर प्रार्थी के कब्जे काश्त से हटकर मनमाने ढंग से गलत तरमीम कर प्रार्थी के नाम नये खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:51:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

1007/34 सृजित कर गलत तरमीम कर दी गई है जो काबिल दुरूस्ती है। ऐसी सूरत में भूमि का बंटवाड़ा स्वीकृत बंटवाड़े अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना न्यायासंगत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बंटवाड़े के साथ पेश ट्रेस नक्शे में प्रार्थी के कब्जे अनसार तरमीम दुरूस्त कर, रेकर्ड दुरूस्ती करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये गये। अप्रार्थी संख्या बाबुखां नोटिस तामिल के उपरान्त भी बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। अतः अप्रार्थी संख्या 02 बाबुखां के विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 राजपैरोकार तहसीलदार चितलवाना द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा वेडिया के खसरा संख्या 32/2 रकबा 0.45 हैक्टर के संयुक्त खातेदार बाबूखां पुत्र जानूखां, पुखराज पुत्र तगाराम के नाम दर्ज थी। उक्त खसरा का खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से बंटवाड़ा पेश करने पर दिनांक 14.10.2016 को स्वीकृत किया जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उक्त खसरा संख्या की तरमीम बंटवाड़ा के सलंग्न नक्शा अनुसार रकबा 0.0085 हैक्टर खसरा के दक्षिण पश्चिम कोने पर की जानी थी, जो बंटवाड़ा अनसार नही हुई है। इस प्रकार मौके पर नवसृजित खसरा संख्या 1007/34 रकबा 0.0085 हैक्टर भूमि मूल खसरा संख्या 34/2 के पश्चिम–दक्षिण कोने पर एवं इसी अनुसार प्रार्थी पुखराज पुत्र तगाराम का कब्जा–काश्त एवं शेष खसरा 32/2 रकबा 0.4415 हैक्टर पर बाबूखां का कब्जाकाश्त है।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। मौजा वेडिया तहसील चितलवाना के खेत खसरा संख्या 34/2 रकबा 0.45 हेक्टर प्रार्थी व अप्रार्थी बाबुखां की संयुक्त खातेदारी की आई हुई थी। जिसमें बंटवाड़े के उपरान्त प्रार्थी का 0.0085 हेक्टर हिस्सा व अप्रार्थी बाबूखां की 0.4415 हेक्टर खातेदारी का आया [illegible]। उक्त खसरा संख्या की तरमीम बंटवाड़ा के सलंग्न नक्शा अनुसार रकबा 0.0085 हेक्टर खसरा के दक्षिण पश्चिम कोने पर की जानी थी, जो बंटवाड़ा अनुसार नही हुई है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:31:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर मौजा वेडिया तहसील चितलवाना के खेत खसरा संख्या 1007/34 रकबा 0.0085 हैक्टर आराजी को बन्टवाड़े अनुसार मूल खसरा संख्या 34/2 के पश्चिम–दक्षिण कोने पर प्रार्थी के कब्जे काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश तहसीलदार चितलवाना को दिया जाता है। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पक्षकार खर्चा अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हनुमानाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

निर्णय आज दिनांक 17/5/2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना जिला–जालोर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:51:42 IST
Reason: SelfAttested